अनुदान संख्या 95 – सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
GRANT No. 95 - MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1396,09,00	3721,17,00	2683,31,87	-1037,85,13
पूरक	Supplementary	2325,08,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1033,97,24
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	13,04,00	15,83,00	8,51,44	-7,31,56
पूरक	Supplementary	2,79,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				7,32,87

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹10378.13 लाख) जुलाई, 2021 और दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹232508.00 लाख के पूरक अनुदान का 45 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत थीः–

अनुदान में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईंः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹103785.13 lakhs) constituted 45 percent of the supplementary grants of ₹232508.00 lakhs obtained in July, 2021 and December, 2021 and 28 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	4010.00			
			..	..	..
पु.	R.	-4010.00			
मुख्य शीर्ष "2553" सांसदों का स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	Major Head "2553" MPs Local Area Development Scheme				
मू.	O.	2010.00			
पू.	S.	232508.00	173211.60	173211.60	..
पु.	R.	-61306.40			
मुख्य शीर्ष "3454" जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	Major Head "3454" Census, Surveys and Statistics				
मू.	O.	130313.00			
			92572.78	92184.88	-387.90
पु.	R.	-37740.22			

(I) ₹6862.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" – "सर्वेक्षण और सांख्यिकी आर्थिक सलाह और सांख्यिकी – सांख्यिकी – क्षमता विकास (एनएसएसओ का क्षमता विकास – राज्यों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय एनएसएस नमूना कार्य कार्यान्वित करने के लिए सहायता अनुदान)" – ₹4010.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और अव्ययित राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण।

(I) Provision of ₹6862.00 lakhs remained wholly unutilized under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" - "Surveys and Statistics Economic Advice and Statistics- Statistics - Capacity Development (Capacity Development of NSSO- Grant-in-aid to the States for carrying out Central NSS Sample work in North Eastern Region)" - ₹4010.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "3454" – "सर्वेक्षण और सांख्यिकी – केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन – भारत में सांख्यिकी की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" – ₹2852.00 लाख – विश्व बैंक द्वारा ऋण की वापसी के प्रस्ताव की वजह से स्कीम का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "2553" – "जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सहायता – अनुदान सहायता" – ₹2010.00 लाख का मूल प्रावधान ₹232508.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹234518.00 लाख कर दिया तथापि, जो ₹61306.40 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा विभिन्न राज्यों में आर्दश आचार संहिता लागू होने, जिला प्रशासन से पूरे प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और कोविड–19 के मद्देनजर वित्त मंत्रालय द्वारा एमपीएलएडीएस स्कीम के निलंबन होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3454" – "सर्वेक्षण और सांख्यिकी" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "भारतीय सांख्यिकी संस्थान – आएसआई, कोलकाता को सहायता अनुदान" – ₹3395.73 लाख की बचत (₹31414.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन – क्षमता विकास (सीएसओ का क्षमता विकास और संस्थागत विकास एवं क्षमता निर्माण)" – ₹31203.00 लाख की बचत (₹54522.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सातवीं आर्थिक गणना के तहत परिकल्पित गतिविधियों के पूरा होने में विलंब होने, एसबीआर से संबंधित गतिविधियों को आरंभ करने में विलंब होने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने में विलंब के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹301.11 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 51 प्रतिशत था।

(B) Major head "3454" "Survey and Statistics - Central Statistical Organisation - National Programme For Improving Quality of Statistics in India" - ₹2852.00 lakhs - due to non-implementation of scheme owing to withdrawal of loan offer by the World Bank.

(II) Under Major Head "2553" – "Assistance to District Rural Development Agencies - Grant Assistance"- the original provision of ₹2010.00 lakhs was augmented to ₹234518.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹232508.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹61306.40 lakhs - due to imposition of Model Code of conduct in various States, non-receipt of complete proposals from District Administration and suspension of MPLADS Scheme by the Ministry of Finance in view of the COVID-19 pandemic.

(III) Under Major head "3454" - "Surveys and Statistics" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Indian Statistical Institute- Grant-in-aid to ISI, Kolkata"- saving of ₹3395.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31414.00 lakhs) was due to reduction of provisions at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Central Statistical Organisation - Capacity Development (Capacity Development of CSO and Institutional Development & Capacity Building)" - saving of ₹31203.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹54522.00 lakhs) was due to delay in completion of envisaged activities under 7th Economic Census, delay in initiation of SBR related activities and delay in achieving milestones by State/ Union Territories.

(IV) Under one head saving of ₹301.11 lakhs occurred constituting 51 percent of the sanctioned provision.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹731.56 लाख) दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹279.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थी और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 46 प्रतिशत थी। अभ्यर्पित राशि (₹732.87 लाख) भी कुल बचत से अधिक थी।

2. In the capital section of the grant, the overall savings (₹731.56 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹279.00 lakhs obtained in December, 2021 and constituted 46 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (₹732.87 lakhs) also exceeded the overall savings.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess +
मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	1304.00			
पू.	S.	279.00	850.13	851.44	+1.31
पु.	R.	-732.87			

(I) "सांख्यिकी – क्षमता विकास (सीएसओ का क्षमता विकास और संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण)" – ₹1304.00 लाख का मूल प्रावधान ₹279.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1583.00 लाख किया गया था। तथापि, ₹731.56 लाख की बचत हुई (पूरक अनुदान सहित) – बचत महालानोबिस भवन, कोलकाता की लिफ्टों के प्रतिस्थापन के प्रस्ताव के अनुमोदित न होने, हाई एंड सर्वर की अधिप्राप्ति और कोविड–19 महामारी की वजह से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(I) Under "Statistics - Capacity Development (Capacity Development of CSO and Institutional Development & Capacity Building)" – the original provision of ₹1304.00 lakhs was augmented to ₹1583.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹279.00 lakhs. However, there was a saving of ₹731.56 lakhs (including the supplementary grant) - due to non-approval of proposal for replacement of lifts of Mahalanobis Bhawan, Kolkata, procurement of high end server and slow progress of work by Central Public Works Department owing to COVID-19 pandemic.